eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

विकसित भारत 2047 में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय

श्री विकास[1]

[1]असिस्टेंट प्रोफ़ेसर अर्थशास्त्र, डॉ अम्बेडकर गवर्नमेंट पी0 जी0 कॉलेज ऊंचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश

Received: 08 November 2025, Accepted: 20 November 2025, Published online: 30 November 2025

Abstract

21 वीं सदी में भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है । भारत को विकसित देश बनाने में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। लैंगिक समानता का अर्थ है सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को समान अधिकार, अवसर और संसाधनों तक समान पहुँच प्राप्त हो। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को अपनी इच्छा से जीवन जीने और निर्णय लेने के लिए शक्ति और साधन प्रदान करना। लैंगिक समानता के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। लैंगिक समानता विकास को बढ़ावा देती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के सभी सदस्यों को बुनियादी अधिकार, समान अवसर और उचित संसाधन प्रदान किए जाएं चाहे उनकी सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठिभूमि कुछ भी हो। सामाजिक न्याय का उद्देश्य भेदभाव को खत्म करना और एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां सभी लोग अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थाई प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष कार्यक्रम मार्च 2025 में बताया कि देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं । रुचिरा कंबोज ने बताया कि महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय से भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा।

मुख्य शब्द– लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, संयुक्त राष्ट्र, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना।

Introduction

वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। देश को विकसित अर्थव्यवस्था के पायदान पर लाने के लिए लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों का गहराई से विश्लेषण करना और उनके प्रभावी समाधान सुझाना है। यह अध्ययन लैंगिक समानता , महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय से संबंधित सरकार की नीतियों और सामाजिक विज्ञान शोधों पर आधारित होगा ताकि विकसित भारत / 2047 के लिए ठोस उपाय प्रस्तुत किए जा सकें। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव न हो और उसे सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हों। लैंगिक समानता एक मौलिक मानवधिकार है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल और राजनीति जैसे सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी और अवसरों पर आधारित है। भारतीय संविधान में भी लैंगिक समानता के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया गया है।

लैंगिक समानता की ओर भारत के कदम– लैंगिक समानता की दिशा में भारत के प्रयासों में प्रगति हुई है लेकिन अभी भी आगे की राह कठिन है। महिलाओं में शैक्षिक स्तर सुधर रहा है फिर भी संसद में राजनीतिक

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

प्रतिनिधित्व केवल 14 प्रतिशत है। आर्थिक असमानता बहुत अधिक है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत कम कमाती हैं। विश्व आर्थिक मंच की जेंडर गैप रिपोर्ट दृ 2005 में 148 देशों में भारत का स्थान 131 वाँ है। यह स्थान ब्रिक्स देशों और दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से भी पीछे है। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए भारत के सभी क्षेत्रों में ठोस समावेशी प्रगति पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत ने लैंगिक समानता की दिशा में कई क्षेत्रों में प्रगति की है जिनका विवरण निम्नलिखित है–

- महिला शिक्षा में प्रगति हुई है। आजादी के बाद से महिला शिक्षा में लगातार वृद्धि हुई है। वर्तमान में यह बढ़कर 77 प्रतिशत हो गई है।

- वित्तीय स्वतंत्रता ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। महिलाओं की वित्तीय निर्णय लेने और उद्यमशीलता में शामिल होने की क्षमता बढ़ी है। PMJDY खातों में महिलाओं का हिस्सा बढ़ा है।

- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 ने यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के लिए दंड को कड़ा कर दिया है। 2017 में सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है ।

- 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों एवं स्थानीय शासन निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी हैं।

- महिला आरक्षण अधिनियम 2023 संसद और राज्य विधान सभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है यह राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ने मातृ मृत्यु दर को 50 प्रतिशत से अधिक कम करने में मदद की है।

- आयुष्मान भारत योजना ने स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का विस्तार किया है जिससे अनेक महिलाएं मुफ्त स्वास्थ्य जांच और उपचार से लाभांवित हो रही हैं।

- AB – PMJAY स्वास्थ्य बीमा योजना में लगभग 49ः लाभार्थी महिलाएं शामिल हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच निश्चित कर रही हैं।

- मनरेगा ने श्रमबल में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस रोजगार कार्यक्रम के समान वेतन प्रावधानों से महिलाओं को स्वतंत्र आय प्रदान की है जिससे उनकी स्वायत्तता बढ़ी है। इस कार्यक्रम का प्रभाव राजस्थान जैसे राज्यों में भी दिखा है जहां ग्रामीण महिलाओं में महत्वपूर्ण आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है।

- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने स्टैंडअप इंडिया और MUDRA जैसी सरकार समर्थित योजनाएं सहायक रही हैं।

- स्वयं सहायता समूह (SHG) ग्रामीण महिलाओं को बचत, ऋण और वित्तीय साक्षरता तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरु करने तथा उसे बढ़ाने में सहायता करते हैं।

भारत में लैंगिक समानता में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे–

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

- भारत की राजनीति में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व है। संसद में केवल 13.8 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व वर्ष 2023 से भी कम हुआ है। 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम पारित होने के बावजूद राजनीतिक इच्छाशक्ति और संरचनात्मक बाधाओं के कारण इसका पूर्ण कार्यान्वयन वर्ष 2029 तक विलंबित है। यह गतिरोध शासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयासों को कमजोर करता है।

- श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम बनी हुई है। वर्ष 2020 में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा किए गए शोध में भारत में महिलाओं द्वारा किए गए अवैतनिक कार्यों का आर्थिक मूल्य लगभग 19 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। मैकिन्से की एक रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक रोजगार अंतर को कम करने से वर्ष 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है फिर भी प्रगति धीमी है।

- पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण शिक्षा , रोजगार और सामाजिक गतिशीलता में महिलाओं की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक बाधाएं महिलाओं के लिए करियर में प्रगति और नेतृत्व की भूमिकाओं को सीमित करती हैं।

- भारत में व्याप्त लैंगिक असमानता के कारण 2025 के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में लैंगिक समानता के मामले में भारत को दक्षिण एशिया में सबसे निचले पायदान पर ल खड़ा किया है।

- भारत में लैंगिक वेतन अंतर अभी भी काफी महत्वपूर्ण है। महिलाएं प्रायः समान कार्य के लिए

- अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम कमाती है जैसे – कृषि और घरेलू कार्य।

- यद्यपि महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है लेकिन शिक्षा से आर्थिक भागीदारी तक की छलांग रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बाधित है। शिक्षा प्रणाली अपनी सफलताओं के बावजूद उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में असफल रही है जिसका मुख्य कारण सांस्कृतिक और अवसंरचनात्मक अंतराल है।

- यद्यपि मातृत्व लाभ और शिशु देखभाल सहायता के लिए 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। लेकिन पर्याप्त शिशु देखभाल अवसंरचना में कमी के कारण महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाना चुनौती बनी हुई है।

- **प्रधानमंत्री जनधन योजना ने महिला खाता स्वामित्व** –

- में वृद्धि की है लेकिन इन खातों का उपयोग सीमित है लगभग एक तिहाई खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाएं अधिक बचत करती हैं और परिवार की खुशहाली में पुनर्निवेश करती हैं।

भारत में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति के उपाय–

- महिलाओं के लिए व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम लागू करना चाहिए। इन कार्यक्रमों में व्यावहारिक कौशल , उद्यमशीलता प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता पर जोर दिया जाना चाहिए जिससे महिलाओं को उच्च वेतन वाली कुशल नौकरियां प्राप्त करने में सशक्त बनाया जा सके। ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास पर जोर देने से शहरी, ग्रामीण विभाजन को पाटा का सकता है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

- लिंग दृ संवेदनशील श्रम कानूनों को बढ़ावा देकर उन्हें लागू करना चाहिए। लैंगिक समानता मानदंडों के अनुपालन का आकलन करने के लिए कंपनियों का नियमित आडिट तथा कमी पाए जाने पर दंडात्मक उपाय अपनाने चाहिए।

- स्थानीय शासन में आरक्षण की सफलता को आगे बढ़ाते हुए भारत उच्च राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए महिलाओं को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम बनाया जा सकता है।

- लिंग संवेदनशील बजट और नीतिनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। वित्तीय संसाधनों को विशेष रूप से उन योजनाओं के लिए आबंटित किया जाना चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाती है। इस प्रक्रिया से लैंगिक समानता को बल मिलेगा।

- उचित वित्तीय सेवाओं के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाए। इसके द्वारा महिलाओं को पूंजी , सूक्ष्म ऋण और औद्योगिक निधि तक पहुंच आसान बनाई जाए। महिला उद्यमियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना चाहिए जिससे उन्हें मार्गदर्शन, नेटवर्किंग अवसर और लक्षित विकास कार्यक्रम जैसी सेवाएं प्रदान की जा सकें।

- सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने और लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता को शामिल करना चाहिए। इससे लड़के और लड़कियों दोनों को लैंगिक समानता, सम्मान एवं साझा जिम्मेदारी जैसी अवधारणाओं पर शिक्षित करने में मदद मिलेगी।

- लैंगिक विभाजन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाए जिससे इस संबंध में उचित नीति बनाई जा सके।

- भारत में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है। अतः इस क्षेत्र के लिए सख्त कानूनी सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाए।

भारत ने लैंगिक समानता की दिशा में सराहनीय प्रगति की है। परंतु यह यात्रा अभी अधूरी है। शिक्षा, आर्थिक भागीदारी तथा नेतृत्व में व्याप्त अंतरालों को भरने की दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ, साथ सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने , समान अवसर सुनिश्चित करने तथा समावेशी नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तविक लैंगिक समानता तब ही प्राप्त होगी जब पुरूषों और महिलाओं दोनों को सफलता के लिए समान मंच उपलब्ध कराए जाएंगे।

महिला सशक्तिकरण – महिलाओं का सशक्तिकरण एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो महिलाओं को आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हों, यह सुनिश्चित करती है। जिससे महिलाएं स्वतंत्ररूप से निर्णय ले सकें और समाज में पुरूषों के बराबर सम्मान व अधिकार प्राप्त कर सकें।

भारत में महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य समाज में समानता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बढ़ाना है। सामाजिक न्याय महिला सशक्तिकरण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है क्योंकि समाज में व्याप्त पितृ सत्तात्मक और लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त कर ही वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकती है। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कई

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

संवैधानिक प्रावधान और सरकारी पहल की गई है। लेकिन जागरुकता की कमी, कानूनों का सही से क्रियान्वयन और समाज में लोगों की मानसिकता में बदलाव जैसे कई मुद्दे अभी भी मौजूद हैं।

महिला सशक्तिकरण की मुख्य बातें–

- अवसर की समानता– महिलाओं को सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भाग लेने के बराबर अवसर प्रदान करना।
- आत्मनिर्भरता– महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने में सक्षम बनाना।
- सामाजिक भेदभाव का अंत– समाज में लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना जैसे– घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर असमानता, वेतन में अंतर।
- देश के विकास में योगदान – महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें देश के विकास में सक्रिय भागीदार बनाना ।

महिला सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम – महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं–

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम द्वारा लड़कियों को शिक्षा और जीवन के अन्य अवसरों से जोड़ना ।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना ।
- विभिन्न संवैधानिक प्रावधान जैसे अनुच्छेद 14, 15 और 16 महिलाओं के लिए समानता और गैर भेदभाव सुनिश्चित करते हैं।
- प्रसूति लाभ अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम जैसे कानून कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
- विभिन्न सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- समान वेतन, कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ और संपत्ति पर अधिकार जैसे कानून बनाए गए हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्जवला योजना महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाती है।

चुनौतियां और आवश्यक कदम –

- समाज में गहरी पैठ जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता महिला सशक्तिकरण में बड़ी बाधा है।
- महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता महिला सशक्तिकरण को कमजोर करती है।
- महिलाओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताएं महिला सशक्तिकरण के प्रसार को कुंद करती हैं।
- कई महिलाओं को उनके अधिकारों और उपलब्ध कानूनों की जानकारी नहीं होती है।
- कानूनों का कमजोर कार्यान्वयन और अपराधियों को सजा दिलाने में देरी होती है जिससे न्याय प्रकिया बाधित होती है।
- महिलाओं को मानसिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है जिससे उनमें आत्मविश्वास और साहस बढ़ सके।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 08, Special Issue 03, Nov 2025

महिला सशक्तिकरण का सामाजिक न्याय से संबंध– महिला सशक्तिकरण सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह समाज में लिंग आधारित असमानताओं को दूर करने में मदद करता है। महिलाओं को भौतिक संसाधनों पर अधिक नियंत्रण दिलाता है जिससे वे समाज में अपनी जगह बना सकें। सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से यथास्थिति को चुनौती देने और एक समावेशी व न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने में सक्षम बन सकें।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष कार्यक्रम मार्च 2025 में बताया कि देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए एक बहुमुखी रणनीति तैयार की जा रही है जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस पहल से लैंगिक न्याय, समानता और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। रुचिरा कंबोज ने बताया कि महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय से भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा।

संदर्भ ग्रन्थ–

1. J. Priyadharshini and M. Sella, Gender equality and women impoerment in India, IJBARR, Vol. 1, Issue 23, July-Sep 2018.
2. शालू गुप्ता और वी० उपाध्याय, भारत ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानताकी दिशा में नीतियाँ और प्रगति, IJFMR, Vol- 7, Issue 5, Sep-Oct. 2025.
3. राहुल कुमार मिश्रा, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक विषमता, वर्तमान परिदृश्य, Inovation the Rsearch Concept] Vol-4] Issue-10, Nov- 2019.
4. Dr. S. Suganthi, A study on gender qquality and women's empoerment in India, JARJ, Vol. 6 No. 3, 2005.
5. पी० डी० शर्मा, महिला सशक्तिकरण और नारीवाद, रावत पुब्लिकेशन्स–2017 ।
6. डॉ० कामिनी जैन, महिला सशक्तिकरण चुनौतियां एवं समाधान, शाश्वत पब्लिकेशन ।
7. डॉ० इंदु शर्मा और डॉ० शिवली अग्रवाल, महिला सशक्तिकरण चुके नवीन आयाम (सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिप्रेक्ष्य में), राधा पब्लिकेशन दिल्ली –2011 ।
8. डॉ० ओजस्वनी जौहरी, महिला सशक्तिकरण, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।